



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269045
CG-DL-E-02012026-269045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5907]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5907]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6107(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

- i. कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर-गढ़वाल

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

- i. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- ii. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, उत्तराखंड – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य:

- i. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- ii. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

iii. डॉ. अक्षय धारीवाल, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं संचरण संस्थान

IV. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:

- i. डॉ. कमलेश उपाध्याय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (मेडिसिन), बी जे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद
 - ii. डॉ. अंबुज रॉय, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
 - iii. डॉ. मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (न्यूरोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
 - iv. डॉ. कदम्बरी डी., प्रोफेसर (सर्जरी), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :		
1.	कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर-गढ़वाल	
धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, उत्तराखंड – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. राज बहादुर संस्थान निकाय के अध्यक्ष	07.08.2025 को जारी का. आ. 3636(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265478 के तहत प्रकाशित
10.	डॉ. अक्षय धारीवाल, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं संचरण संस्थान	

धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :		
11.	डॉ. कमलेश उपाध्याय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (मेडिसिन), बी जे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	
12.	डॉ. अंबुज राय, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग, एम्स, नई दिल्ली	
13.	डॉ. मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (न्यूरोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
14.	डॉ. कदम्बरी डी., प्रोफेसर (सर्जरी), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	
धारा 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :		
15.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, संसद सदस्य, लोक सभा	13.01.2025 को जारी का. आ. 260(अ)
16.	एडवोकेट चन्द्र शेखर, संसद सदस्य, लोक सभा	के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 15012025-260241 के तहत प्रकाशित
17.	श्री महेन्द्र भट्ट, संसद सदस्य, राज्य सभा	13.01.2025 को जारी का. आ. 261(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 15012025-260237 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/41/2024-PMSSY-IV(8291745)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

S.O. 6107(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Rishikesh** :

I. Member under clause (a) of Section 4:

- Vice-Chancellor, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal

II. Members under clause (d) of Section 4:

- Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance
- Director, National Institute of Technology, Srinagar, Uttarakhand – Representative of Ministry of Education

III. Members under clause (e) of Section 4:

- i. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
- ii. Chief Secretary, Government of Uttarakhand or his/her nominee
- iii. Dr. Akshay Dhariwal, Former Director, National Centre for Disease Control

IV. Members under clause (f) of Section 4:

- i. Dr. Kamlesh Upadhyay, Prof. & HoD (Medicine), B J Medical College, Ahmedabad
- ii. Dr. Ambuj Roy, Professor, Department of Cardiology, AIIMS, New Delhi
- iii. Dr. Manjari Tripathi, Prof. & HoD (Neurology), AIIMS, New Delhi
- iv. Dr. Kadambari D., Professor (Surgery), JIPMER, Puducherry

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
Member under clause (a) of Section 4:		
1.	Vice-Chancellor, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal	
Member under clause (b) of Section 4:		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (c) of Section 4:		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (d) of Section 4:		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	
5.	Director, National Institute of Technology, Srinagar, Uttarakhand – Representative of Ministry of Education	
Member under clause (e) of Section 4:		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	
7.	Chief Secretary, Government of Uttarakhand or his/her nominee	
8.	Vacant	
9.	Dr. Raj Bahadur President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3636(E) dated 07.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-08082025-265323
10.	Dr. Akshay Dhariwal, Former Director, National Centre for Disease Control	
Member under clause (f) of Section 4:		
11.	Dr. Kamlesh Upadhyay, Prof. & HoD (Medicine), B J Medical College, Ahmedabad	
12.	Dr. Ambuj Roy, Professor, Department of Cardiology, AIIMS, New Delhi	
13.	Dr. Manjari Tripathi, Prof. & HoD (Neurology), AIIMS, New Delhi	
14.	Dr. Kadambari D., Professor (Surgery), JIPMER, Puducherry	

Member under clause (g) of Section 4:		
15.	Shri Trivendra Singh Rawat, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 260(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-15012025-260241
16.	Adv. Chandra Shekhar, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Shri Mahendra Bhatt, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 261(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-15012025-260237

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/41/2024-PMSSY-IV(8291745)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.